

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरदाबाद।

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 4(1) बी० के अनुसार मुरादाबाद के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती हैः—

1.पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

उ०प्र०० पुलिस रेगुलेशन के पैरा 02 के अनुसार महानिरीक्षक परिक्षेत्र के प्रभारी होते हैं वे पुलिस की निपुणता के लिए अपने के परिक्षेत्र में उत्तरदायी होते हैं। उन्हे यह देखना होता कि जिला प्रशासन का उचित स्तर बनाये रखा जा रहा है। उनको अपने अधीनस्थ वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों से निकट सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये और उन्हे सहायता एंव परामर्श देने के साथ-साथ उन पर नियंत्रण रखा जाना चाहिये और इसके लिए तत्पर रहना चाहिये। उन्हे कम से कम में एक बार प्रत्येक जिले के वरीष्ठ/पुलिस अधीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना चाहिये।

उ०प्र०० पुलिस रेगुलेशन के पैरा 03 के अनुसार महानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र में अपराधों के साधारण पर्यवेक्षण के लिये दायित्वाधीन हैं। उन्हे यह देखना चाहिये कि गम्भीर अपराध को रोकने के लिए उचित उपाय किये गये हैं और जिलों का आपस में सहयोग प्रभावी है। इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ उन्हे अपर पुलिस महानिदेशक के प्रारूप संख्या 138 के अध्ययन—(1) डकैती (2) हत्या (3) लूट (4) विषप्रयोग (5) प्रकर्ण मामलों का रजिस्टर रखना चाहिये। वह अपराध की पाक्षिक रिपोर्ट को अपर पुलिस महानिदेशक के पेश करेंगे जिससे कि उनके रेन्ज से सम्बन्धित कोई भी ऐसा मामला होगा, जिसे कि उनके विचार में अपर पुलिस महानिदेशक को सूचित करना चाहिए। प्रत्येक मामले की संक्षिप्त विशिष्टियों को देते हुये उन्हे डकैती के कथनों को संलग्न करना चाहिये। अपवादित मामलों में अपराध की रिपोर्ट को अपर पुलिस महानिदेशक को भेजेंगे। उप महानिरीक्षक के लिये जो भी मामले आवश्यक प्रकृति के हो तथा जिस में सरकार को तुरन्त सूचना अपेक्षित हो जैसे गम्भीर शांति भंग, यूरोप और भारतीयों के मध्य टकराव तथा राजनैतिक मामलों के महत्वपूर्ण विषयों की रिपोर्ट वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक को दी जाएगी। किन्तु यथा सम्भव महानिरीक्षक वह माध्यम होंगे जिसके द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक सूचना प्राप्त करेंगे। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में जिले की रसीद महानिरीक्षक को तैयार करनी चाहिये मामले पर टिप्पणी के साथ जिसका कि राज्य की रिपोर्ट में विशेषतया दिया जाना अपेक्षित हो अपनी रेजं का पूर्ण पुनरावलोकन करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक को भेजेंगे।

पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र में पुलिस की शिक्षा का प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों में पर्यवेक्षण और सामंजस्य हेतु उत्तरदायी होंगे। इसका वह समय-समय पर निरीक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त का परिवित प्रशिक्षण की नवीनतम रीतियों से सम्पर्क में रहेंगे तथा उन्हे प्रयोग के तौर पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में अंगीकृत करेंगे।

1.1 परिक्षेत्र में पुलिस संगठन

मुरदाबाद परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से हैः—

पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस अधीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद।	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद मुरादाबाद।
	पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर।
	पुलिस अधीक्षक, जनपद रामपुर।
	पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा।
	पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्भल।

1.2 परिक्षेत्र में नियुक्त अन्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण:-

क्र०सं०	पद का नाम	कार्य	पर्यवेक्षण
1.	सहायक रेडियो अधिकारी	परिक्षेत्र में संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना व अधीनस्थों पर नियंत्रण बनाये रखना।	पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद।
2.	अवर अभियन्ता मुरादाबाद परिक्षेत्र (पद रिक्त है)	भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव के प्रस्ताव तैयार करना तथा तकनीकी परिक्षण रिपोर्ट तैयार करना।	पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद।

2. पुलिस महानिरीक्षक की शक्तियाँ एवं कर्तव्यः:-

पुलिस अधीनियम, पुलिस रेगुलेशन, दण्ड प्रक्रिया संहिता उ०प्र० ० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधीकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली १९९१ के अनुसार शक्तियाँ प्रदत्त हैं।

2.1 पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जनपदों के विभिन्न कार्यालायों/शाखाओं के किये जाने वाले निरीक्षणों का विवरण

शीर्षक शाखा	समय
शीर्षक प्रथम—पत्र व्यवहार शाखा	वार्षिक (जनवरी—मार्च)
शीर्षक द्वितीय— आकिंक शाखा	उपरोक्त
शीर्षक तृतीय— पुलिस लाइन्स	उपरोक्त
शीर्षक चतुर्थ— अभियोजन शाखा	उपरोक्त
शीर्षक पंचम— अपराध	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम—जनपदों का सामान पुलिस प्रशासन	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम—१ जनपदों में नियुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में टिप्पणी	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम—३ जनपदों में प्राप्त प्रार्थनाओं, शिकायातों का निस्तारण	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम—४ अधिकारियों द्वारा कृत निरीक्षण की गुणवत्ता व अनुपालन की समीक्षा	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम—५ अधिकारियों की दौरों की समीक्षा	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम—६ थानाध्यक्षों की मीटिंग	वर्ष में दो बार (जनवरी—जून), (जुलाई—दिसम्बर)

शीर्षक षष्ठम—7 जनप्रतिनिधियों से भेट	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम—8 पुलिस पेंशनर्स बोर्ड	वार्षिक वर्ष में एक ही मिटिंग की जाये, जिस में पुलिस उपमहानिरीक्षक व वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक उपस्थित हों
शीर्षक सप्तम— भवन	वार्षिक अप्रैल—अक्टूबर
शीर्षक अष्टम	
अष्टम—1 महिला प्रकोष्ठ	वार्षिक (अप्रैल—अक्टूबर)
अष्टम—2 विशेष जांच प्रकोष्ठ	उपरोक्त
अष्टम—3 जनपद अपराध अभिलेख ब्यूरो	उपरोक्त
अष्टम—4 फिल्ट यूनिट जनपद	उपरोक्त
अष्टम—5 (1) जिला नियन्त्रण कक्ष	उपरोक्त
अष्टम—5 (2) नगर नियंत्रण कक्ष	उपरोक्त
शीर्षक नवम स्थानीय अभिसूचना इकाई	उपरोक्त
शीर्षक दशम थानों का निरीक्षण	जनवरी—जून 2 थाने जुलाई—दिसम्बर 2 थाने

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर

3.1 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

3.1.1 पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्रम सं0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1.	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा	अबिलम्ब
2.	प्रार्थना पत्र को डाकबही में रजिस्टर में अकित करना व सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ के अधिकारी	01 दिवस में
3.	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस में
4.	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	07 दिवस
5.	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस		01 दिवस में

	रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस महानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना	अधीक्षक द्वारा	
6.	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफतर करने हेतु अन्तिम आदेश करना	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा	01 दिवस में
7.	प्रार्थना पत्र मय जांच रिपोर्ट के दाखिल दफतर करना	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ करना	01 दिवस
8.	जांच रिपोर्ट का रखरखाव	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	01 वर्ष तक

3.1.2 पुलिस महानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया

क्रम सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1.	पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	अबिलम्ब
2.	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा लिफाफे को खोला जाना	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ	अबिलम्ब
3.	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना	पुलिस महानिरीक्षक	01 दिवस
4.	प्रार्थना पत्र को डाकबही में रजिस्टर में अकित करना व सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ	अबिलम्ब
5.	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस
6.	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	15 दिवस में
7.	सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस महानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना	सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस में
8.	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफतर करने हेतु अन्तिम	पुलिस महानिरीक्षक	01 दिवस में

	आदेश करना		
9.	प्रार्थना पत्र मय जांच रिपोर्ट के दाखिल दफ्तर करना	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ	01 दिवस में
10.	जांच रिपोर्ट का रखरखाव	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ	01 वर्ष में

3.2 परिक्षेत्र स्तर पर जनपदों के विशेष अपराधों का पर्यवेक्षण

पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में सम्बन्धित जनपद द्वारा विशेष अपराध आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस में
पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में विशेष अपराध पत्रावली बनाना	वाचक पुलिस महानिरीक्षक	01 दिवस में
पर्यवेक्षण आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक द्वारा	10 दिवस में
कमागत आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक द्वारा	प्रथम आख्या 10 दिवस में तथा शेष 01 माह के अन्तराल में
कमागत आख्या में प्राप्त कमियों पर आपत्तियों का प्रेषित किया जाना	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा	07 दिवस में
कमागत आख्या में प्राप्त कमियों पर आपत्तियों का निराकारण	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक द्वारा	15 दिवस में
कार्यवाही पूर्ण होने पर अनुमोदनोपरान्त बन्द किया जाना	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा	

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाले मानदण्ड

4.1 परिक्षेत्र स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिये निर्धारित किये गये मापदण्ड

क्रम सं०	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1.	परिक्षेत्र स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस में
2.	पुलिस महानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस में

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

- भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये पूर्ण सम्मान करना।

2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो तो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिये कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव रखना।
9. पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
10. हृदय से विशिष्टिता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
12. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुये कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
13. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख

1. पुलिस अधिनियम—1861
2. भारतीय दण्ड संहिता—1861
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
4. उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
5. उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल
6. साक्ष्य अधिनियम 1872
7. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) नियमावली—1991
8. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
9. वित्तीय हस्त पुस्तिका
10. समय—समय पर निर्गत शासनादेश
11. उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्यप्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती हैं।

6. विभाग द्वारा रखें जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेख रखे जाते हैं:-

1. सेवा सम्बन्धी अभिलेख।
2. विशेष अपराध पत्रावलियां।
3. कानून-व्यवस्था एवं अपराधिक स्थिति की समीक्षा सम्बन्धी पत्रावलियां।
4. वेतन, भत्ते, आकस्मिकता निधि एवं बजट सम्बन्धी अभिलेख।
5. शिकायत निस्तारण सम्बन्धी अभिलेख।
6. गार्ड फाइल।
7. भवन मरम्मत सम्बन्धी अभिलेख।
8. परिक्षेत्र में पीएसी आबंटन सम्बन्धी अभिलेख।
9. पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी अभिलेख।
10. जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 सम्बन्धी पत्रावली।

7. जनता की परामर्श दात्री समितियां जो संगठन में अन्तर्निहित हैं।

शून्य

8. बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय जो संगठन के भाग या सलाह के लिये मौजूद हैं:-

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका

पुलिस महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के टेलीफोन नम्बर

पदनाम अधिकारीगण	नाम अधिकारीगण	आवास	कार्यालय	सी0य०जी
पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद	श्री रमित शर्मा	0591-2436770	0591-2435532	9454400213
गोपनीय सहायक	श्री नरेशपाल सिंह	-	0591-2435532	9454457696
प्रधान लिपिक (निरीक्षक एम)	श्री देवकीनन्दन जोशी	-	0591-2435532	9454457697
वाचक निरीक्षक	श्री राहुल सिंह	-	0591-2435532	7839862602
जनसम्पर्क अधिकारी उ०नि०	श्री लोकेन्द्र त्यागी	-	0591-2435532	9454457695

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक

क्रम सं०	पद	वेतनमान	मूल वेतन
1.	पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद, परिक्षेत्र मुरादाबाद	वेतन मैट्रिक्स लेवल—14 क	182700
2.	गोपनीय सहायक	वेतन मैट्रिक्स लेवल —8	70000
3.	प्रधान लिपिक	वेतन मैट्रिक्स लेवल —8	72100
5	जनसम्पर्क अधिकारी		49000
.6	वाचक पुलिस महानिरीक्षक		96600
7	एस0आई0(एम)	वेतन मैट्रिक्स लेवल —8	70000
8	ए0एस0आई(एम)	वेतन मैट्रिक्स लेवल —6	53600
9	ए0एस0आई(एम)	वेतन मैट्रिक्स लेवल —6	50500
10	ए0एस0आई(एम)	वेतन मैट्रिक्स लेवल —6	49000

11. बजट (दिनांक 31.12.18 की स्थिती के अनुसार

क्रम सं०	मानक पद	चालू वित्तीय वर्ष 2017–2018 दि० 31.12.18 तक की स्थिति के अनुसार	
		अनुदान	व्यय
1.			
1	01—वेतन	7376000	6620506
2	03—मंहगाई भत्ता	369600	297216
3	06—अन्य भत्ता	181000	152298
4	05—स्थानान्तरण यात्रा व्यय	14000	—
5	08—कार्यालय व्यय	83835	82261
6	07—मानदेय	—	—
7	10—जलकर / जलप्रभार	—	—
8	11—लेखन सामग्री एवं फार्मॉ की छपाई	10000	—
9	12—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	—	—
10	13—टेलीफोन पर व्यय	9000	8819
11	42—अन्य व्यय—पारितोषिक	—	—
12	42—अन्य व्यय—खेलकूद पर व्यय	—	—
13	42—अन्य व्यय—सुख सुविधा निधि	60000	23151
14	45—अवकाश यात्रा व्यय	27200	22544
15	47—कम्प्युटर अनुरक्षण एंव स्टैशनरी का व्यय	22750	22650

12. सबसिडी कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में कोई उपादन कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

शून्य

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

15. अधिनियमान्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें।

क्रम सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1.	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	पुलिस महानिरीक्षक / वाचक, पुलिस उपमहानिरीक्षक	प्रातः 10 बजे से शाम 17:00 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	बिलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में 48 घंटे
	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा कि जाने वाली धनराशी (10रु प्रथम घंटा, प्रथम घंटा के पश्चात 5रु प्रति 15 मिनट)	पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय की आकिंक शाखा में नगद, लोकप्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर चैक, पोस्टल आड़ेर / नकद	उपरोक्त
	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा कि जाने वाली राशि का विवरण (10रु प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250रु प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना (25000रु से अनधिक) भी देय होगा।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम

पुलिस महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी हैः—'

क्रम सं०	राज्य जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम
1.	उ०नि०ना०पु श्री डॉ०एन०जोशी निरीक्षक (एम) / प्रधान लिपिक कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक ०५९१-२४३५५३२		श्री रमित शर्मा पुलिस महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद ९४५४४००२१३

1. अन्य कोई विहित सूचना:-

शून्य